

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

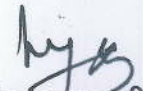
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :-एफ.3 (ख)(एस-11/92) /अलेसे-11/2556

दिनांक:- 27.03.2017

कार्यालय आदेश

श्री सैयद अतहर अब्बास काजमी (मेरिट नं. 11/92, लिंक नं. 5377), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2017 दर्ज होने तथा दिनांक 08.03.2017 से दिनांक 17.03.2017 तक पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने एवं 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण श्री काजमी को सीसीए नियम 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 08.03.2017 से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय कोषालय, भीलवाड़ा किया जाता है। श्री काजमी को निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

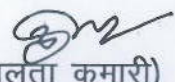

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :-एफ.3 (ख)(एस-11/92) /अलेसे-11/2556

दिनांक:- 27.03.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर।
5. श्री सैयद अतहर अब्बास काजमी, (मेरिट नं. 11/92, लिंक नं. 5377), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) कार्यालय प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
- ✓ 6. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)